(c) whether any machinery exists to check the manufacture and use of spurious auto parts in the country; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OR STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) and (b) According to a limited study on selected auto parts conducted by the National Council of Applied Economic Research, the sale of spurious auto parts in the Northern states served by the Delhi Market during the year 1991-92 was estimated at Rs. 435.81 crores against the total sale o auto parts of around 1032.10 crores. The market composition of spurious components in the Delhi markets thus works out of 42.23 per cent.

(c) and (d) The Traders and Merchandise Act is proposed to be amended to make manufacture, storage and sale of spurious goods a cognizable offence. The Motor Vehicle Act is also being amended to provide for penalities or dealing in spurious auto parts.

Difficulties faced by small sector

1446. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the small sector contributes over 40 cent of the national industrial production of the country at present;

(b) whether it is also a fact that small sector suffers from a number of handicaps like difficulties in getting loans from State Finance Corporation, lack of coordination between S.F.S. and banks restrictions on their visits abroad etc.; and

(c) if so, the steps Government propose to take to remove these handicaps?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) The contribution of small scale sector in the National Industrial Production was 39.46 per cent during the year 1992-93.

(b) and (c) In general, the small scale sector has been complaining about inadequate credit availability from fiacial institutions|banks. Based on the recommendations of the Nayak Committee set up for looking into the problems of credit availability to the small scale sector, the Reserve Bank of India has issued guidelines to the banks for augmenting the availabillty of credit to the small scale sector.

SSI's often also complain about the lack of coordination between SFC's and Banks. A study conducted by RBI had revealed that compliance by banks was deficient and therefore, RBI has instructed banks to ensure full coordination.

There is no restriction on visits abroad by the entrepreneurs of SSI's as they are treated at par with the businessmen and the authority to release the exchange for travel has been delegated to authorised dealers. The rules have been made very simple under the liberalised exchange control rules.

लघु और कुटीर उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्र द्वारा उपलब्ध करवाया गया रोजगार

1447. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलता है तथा उनमें से कितने व्यक्तियों को लघु और कुटीर उद्योगों में रोजगार मिलता है ;

(ख) लघु और कुटीर उद्योगों का उत्पादन कुल औद्योगिक उत्पादन का कितना प्रतिशत है;

(ग) लघु और कुटीर उद्योगों का कितना उत्पादन निर्यात होता है और वह कुल औद्योगिक निर्यात का कितना प्रतिशत है ;

(घ) बैंकों और सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा लघु और कुटीर उद्योगों को प्रतिवर्ष कितना ऋण दिया जाता है और यह ऋण संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र को दिये जाने वाले कुल ऋण का कितना प्रतिशत है ; और

(ङ) बड़े उद्योगों को दिये गये ऋणों और लघु तथा कुटीर उद्योगों को दिये गये ऋणों पर ब्याज की दरें कितनी-कितनी हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों में नियुक्त व्यक्तियों की अनुमानित संख्या नीचे दी गई है :

	सं. लाख में
10 अथवा इस से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के एकक (उपलब्ध नवीनतम आंकड़े)	64.27
लघु और कुटीर उद्योग	448.71
योग :	512.98

यह अनुमान लघु उद्योगों में नियुक्त 10 अथवा अधिक व्यक्तियों को छोड़कर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लिये है।

(ख) वर्ष 1992-93 के लिये कुल औद्योगिक उत्पादन में लघु और कुटीर उद्योगों का अंशदान 46.94 प्रतिशत है।

(ग) लघु और कुटीर उद्योग ने 23,379 करोड़ रु० मूल्य का वस्तुओं का निर्यात किया है जिसमें 1992-93 में हीरा और जवाहरात का निर्यात शामिल नहीं है जो देश के कुल निर्मित वस्तुओं के आयात का 57.7 प्रतिशत है ।

(घ) मार्च, 1993 के अन्त में लघु और कुटीर उद्योगों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये ऋण की राशि 20,027 करोड़ रु० थी, यह औद्योगिक क्षेत्र को दिये गये कुल ऋण का 25.5 प्रतिशत है। लघु और कुटीर उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिये राज्य वित्त निगम मुख्य राज्य स्तरीय संस्थान है। वर्ष 1992-93 के दौरान इन निगमों द्वारा लघु और कुटीर क्षेत्रों को 1335 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई थी।

(ङ) बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण की देय राशि ब्याज दर का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है। ऋण लेने वालों से ली जाने वाली ब्याज दर ऋण की रकम के अनुसार अलग-अलग होता है। 2 लाख रुपये तक के ऋण पर 2 लाख रु० से ज्यादा के ऋण की तुलना में कम ब्याज दर लिया जाता है। 1 मार्च, 1994 से लागू भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दरों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:—

	ब्याज दर (वार्षिक %)	
	कार्य शील पूंजी के लिये	सार्वधिक ऋण के लिये
(1) 25,000 रु० तक	12.0	12.0
(2) 25,000 रु० से ज्यादा और 2 लाख तक	15.0 (नियत)	14.0 (नियत)
(3) 2 लाख से ज्यादा	15.0(न्यूनतम)	14.0 (न्यूनतम)